न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 37/2019 दायरा दिनांक :—12.03.2019 निर्णय दिनांक :— 07.04.2021

1. कृष्ण कुमार
2. दारासिंह यादव
3. राकेश पुत्रान मातादीन
4. शान्ति देवी पत्नी मातादीन
5. ईमरती देवी
6. मंजू देवी पुत्रीयान मातादीन जातियान अहीर निवासीयान भुनगडा अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज मय हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति— 1. श्री पृथ्वीसिंह यादव— वकील वादीगण।

—:निर्णयः—

दिनांक :— 07.04.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई, वकीलवादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल ख0 न0 47/0.33, 48/0.44, 49/0.43, 50/0.43 है0 वाके ग्राम करनीकोट एवं ख0न0 205/0.42, 439/0.28, 443/0.54 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर में स्थित होकर मिन वादीगण के पिता स्व0 मातादीन से विरासत में प्राप्त आराजी है। जिस पर अपने पिता मातादीन के जीवनकाल से ही बिना किसी एतराज व विवाद के काबिज काश्त है। दिनांक 15.05.2012 को मिनवादीगण के पिता मातादीन की मृत्यु हो गयी। पिता की मृत्यु के बाद हिस्सेनुसार काबिज काश्त करते रहे व नियमों की जानकारी के अभाव में अपने पिता की विरासत का इंतकाल दर्ज नहीं करा सके। अब जब कृषि कार्य हेतु एवं घरेलु खर्च हेतु रूपयों की जरूरत पडी तो मुण्डावर तहसीलदार के समक्ष विरासत इंतकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 13.01.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया तो अधिक समय हो जाने के कारण अदालत से आदेश ला[illegible] इसलिए दावा इश्तकरारहक एवं दुरस्ती पेश करना आवश्यक आया। [illegible] करते हुए वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण स0 1 ला0 6 मृतक म[illegible]न के विधिक वारिशो जिनको मृतक पिता मातादीन के स्थान पर [illegible] काश्तकार घोषित किया जाकर विरासत इंतकालानुसार अंकन किया जावे का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:24:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद विधिवत तलवी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब सरकार पेश हुआ। मुताबिक जवाब दावा विन्दुवार अंकन करते हुए वादी स्वयं सिद्ध करे के बावत का पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमावंदी संवत् 2069–72 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर प्रदर्श–1 , नकल जमावंदी संवत् 2075 ग्राम भुनगडा ठेठर प्रदर्श –2,3 एवं वारिसनामा मृतक मातादीन पुत्र सुखराम जो ग्राम पंचायत भुनगडा अहीर द्वारा 26.02.2019 में जारी किया गया पेश प्रदर्श 4 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र मातादीन प्रदर्श 5 पेश किया गया एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र कृष्ण कुमार पी.डब्ल्यू –1, राकेश पी.डब्ल्यू –2, दारासिंह पी.डब्ल्यू–3, राहुल पी.डब्ल्यू–4, श्यामसुन्दर पी.डब्ल्यू–5 पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकीलवादीगण ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में मृतक पिता मातादीन के स्थान पर वादीगण को खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विरासत इन्तकाल दर्ज कराया जाकर मृतक मातादीन के नाम को हजफ करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराया जाने का निवेदन रहा।

वकील वादीगण की बहस अंतिम सुने जाने एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को वादीगण द्वारा सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर विवादित हाल ख0 न0 47/0.33, 48/0.44, 49/0.43, 50/0.43 है0 वाके ग्राम करनीकोट एवं ख0न0 205/0.42, 439/0.28, 443/0.54 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बावत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम उक्त विवादित आराजीयात के बावत हाल राजस्व रिकॉर्ड में मृतक मातादीन के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर मृतक मातादीन के वारीसान की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:24:22 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 07.0[illegible] को मेरे द्वारा [illegible] जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 37/2019 दायरा दिनांक :—12.03.2019 निर्णय दिनांक :— 07.04.2021

1. कृष्ण कुमार
2. दारासिंह यादव
3. राकेश पुत्रान मातादीन
4. शान्ति देवी पत्नी मातादीन
5. ईमरती देवी
6. मंजू देवी पुत्रीयान मातादीन जातियान अहीर निवासीयान भुनगडा अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

....

.वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज मय हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 .

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक** 07.04.2021 को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

वादीगण के वाद को वादीगण द्वारा सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से सावित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर विवादित हाल ख0 न0 47/0.33, 48/0.44, 49/0.43, 50/0.43 है0 वाके ग्राम करनीकोट एवं ख0न0 205/0.42, 439/0.28, 443/0.54 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बावत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम उक्त विवादित आराजीयात के बावत हाल राजस्व रिकॉर्ड में मृतक मातादीन के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर मृतक मातादीन के वारीसान की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

7/4/21

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:24:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner